

#AMETHIPOLICE



पैरोकार हे0का0
मनोहर लाल

अपराध का विवरण:-

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 23.09.2025 को माननीय न्यायालय एसजे-03 द्वारा अभियुक्तगण को **01 वर्ष का साधारण कारावास तथा 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी । अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सहायनी योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को 01 वर्ष का साधारण कारावास ।
☐ अभियुक्त को 2,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- **हरजीत राज पुत्र जगप्रसाद नि० बियसीया थाना व जनपद अमेठी ।**
 ➤ **प्रेम कुमारी पत्नी कमलेश कुमार नि० सोनारी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।**



@amethipolice



સોશલ મીડિયા સેલ અમેઘી